<u>डिस्कलेमर</u>

आदेश संख्या 24/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20019/सीजीएफ-जी/2010-11/वॉल्यूम- VIII (खंड फाइल)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

<u>आदेश संख्या 24/2022-23</u>

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

जारी करने की तारीख: 23 सितम्बर, 2022

विषय : स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/ हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा कार्गो हैंडलिंग और ग्राउंड हैंडलिंग के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं संबंधी दिनांक 17.03.2022 के आदेश संख्या 46/2021-22 के मामले में – मौजूदा टैरिफ (30.09.2022 को विद्यमान) जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था

यह नीचे तालिका में सूचीबद्ध निम्नलिखित स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों के संबंध में मौजूदा टैरिफ 30.09.2022 के बाद भी वसूल करने की अंतरिम व्यवस्था को बढ़ाने के संबंध में है:-

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	प्रदान की जाने वाली सेवा	हवाईअड्डा
1	कार्गो सर्विस सेन्टर (सीएससी)	कूरियर कार्गो	मुम्बई
2	एक्सप्रेस इंडस्ट्री कांउसिल ऑफ इंडिया (ईआईसीआई)		बैंगलुरू
3	डेल्ही कार्गो सर्विस सेन्टर (डीसीएससी)	कार्गो	दिल्ली
4	सैलेबी डेल्ही कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		दिल्ली
5	जीएमआर हैदराबाद कार्गो (पूर्व में हैदराबाद मैन्जाइस एयर कार्गो)		हैदराबाद
6	मैन्जाइस एविएशन बोब्बा प्रा.लि.		बैंगलुरू
7	केरला स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लि. (केएसआईई)		कालीकट
8	केरला स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लि. (केएसआईई)		त्रिवेन्द्रम
9	टीआरवी (केरला) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल)		त्रिवेन्द्रम
10	राजस्थान स्मॉल इंडीस्ट्रीज कॉर्पो. लि.		जयपुर
11	कन्नूर इंटरनेशन एयरपोर्ट लिमिटेड		कन्नूर
12	लखनऊ इंटरनेशन एयरपोर्ट लिमिटेड		लखनऊ
13	अहमदाबाद इंटरनेशन एयरपोर्ट लिमिटेड		अहमदाबाद
14	एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्रा. लि. (एआईएसएटीएस)		बैंगलुरू
15	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस)		चैन्नई

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	प्रदान की जाने वाली सेवा	हवाईअड्डा
16	*कॉनकोर एयर लिमिटेड		मुम्बई
17	कार्गो सर्विस सेन्टर (सीएससी)		अहमदाबाद
18	मुम्बई कार्गो सर्विस सेन्टर कोल्ड चेन सोल्यूशन प्रा. लि. (एमसीएससीसीसीपीएल)	नष्ट होने वाला कार्गो	मुम्बई
19	सैलेबी एनएएस एयरपोर्ट सर्विसेज (आई) प्रा.लि.	ग्राउंड हैंडलिंग	मुम्बई
20	बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज मुम्बई प्रा. लि. (बीडब्ल्यूएफएसएमपीएल)		मुम्बई
21	सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज (आई) प्रा.लि.		दिल्ली
22	बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज इंडिया प्रा. लि.	ग्राउंड हैंडलिंग	दिल्ली
23			कोचीन
24	सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज (आई) प्रा.लि.		कन्नूर
25	ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पटना) प्राइवेट लिमिटेड		पटना
26	ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड		पुणे
27	इंडो थाई एयरपोर्ट मैंनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.		गुवाहाटी
28			जयपुर
29	इंडो थाई कोलकाता प्राइवेट लिमिटेड		कोलकाता
30	इंडो थाई कालीकट प्राइवेट लिमिटेड		कालीकट
31	एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड		दिल्ली
32			बैंगलुरू
33			त्रिवेन्द्रम
34	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)		चैन्नई
35			कालीकट
36			कोलकाता
37			मुम्बई
38			अहमदाबाद
39			कोचीन
40			गुवाहाटी
41			अमृतसर
42			भुवेनश्वर
43			चंडीगढ़
44			गोवा
45			जयपुर
46			पटना
47			पुणे
48			वाराणसी
49			लखनऊ

* मैसर्स कॉनकोर एयर लिमिटेड का मुम्बई हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय कार्गो सेवाओं के प्रावधान के लिए रियायत करार 31.12.2022 तक के लिए वैध है।

2. प्राधिकरण को कुछ स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/ हवाईअड्डा प्रचालकों से कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में एमवाईटीपी/एटीपी प्रस्तुतियां प्राप्त हो गई है। इस समय इन प्रस्तावों के संबंध में टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में जारी है। तथापि अन्य स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों से एमवाईटीपी/एटीपी प्रस्तुतियों अभी प्राप्त की जानी है।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण समझता है कि पूर्वोक्त सेवा प्रदाताओं के लिए टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया में कुछ समय लगने की संभावना है। इसलिए प्राधिकरण ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त तालिका के अनुसार मैसर्स कॉनकोर एयर लिमिटेड (सूची क्रमांक 16 पर) के सिवाय स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों को 30.09.2022 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली 01.10.2022 से 31.03.2023 तक छ: (6) माह की अगली अवधि या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए ऐरा द्वारा नियमित टैरिफ का निर्धारण किए जाने तक, जो भी पहले हो, करना जारी रखने की अनुमति दी जाए।

मुम्बई हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय कार्गो सेवाएं प्रदान करने वाले मैसर्स कॉनकोर एयर लिमिटेड (सूची क्रमांक 16 पर) के मामले में प्राधिकरण नोट करता है कि हवाईअड्डा प्रचालक मायल के साथ उनका रियायत करार 31.12.2022 तक ही वैध है। तदनुसार प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि मैसर्स कॉनकोर एयर लिमिटेड को मौजूदा टैरिफ (30.09.2022 की स्थिति के अनुसार) की वसूली 01.10.2022 से 31.12.2022 तक अगले तीन (03) माह के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाती है।

आदेश

4. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :-

(i) उपर्युक्त तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले **स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों,** मैसर्स कॉनकोर एयर लिमिटेड (सूची क्रमांक 16 पर) को छोड़कर, को 30.09.2022 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली **01.10.2022 से 31.03.2023 तक** अगले छ: (6) माह की अवधि या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए ऐरा द्वारा नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) **मैसर्स कॉनकोर एयर लिमिटेड (सूची क्रमांक 16 पर)** को 30.09.2022 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली **01.10.2022 से 31.12.2022 तक** अगले तीन (03) माह तक के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाती है।

(iii) हवाईअड्डा प्रचालक संबंधित प्रमुख हवाईअड्डों पर स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा एमवाईटीपी/एटीपी समय पर पेश करना सुनिश्चित करेंगे।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

स्वतंत्र सेवा प्रदाता/हवाईअड्डा प्रचालक – (सलंग्नक – I और II के अनुसार)

प्रतिलिपि :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ;